न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/666

मिसल नम्बर– 99/2023

1.रमेशचंद पुत्र स्व0 श्री मिश्रीलाल जाति मेहतर आयु 74 वर्ष निवासी गणेश चौक का रास्ता खेडली फाटक कोटा

2.कांता देवी पत्नी रमेशचंद जाति मेहतर आयु 72 वर्ष निवासी गणेश चौक का रास्ता खेडली फाटक कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.डैनी उर्फ अरविन्द पुत्र श्री रमेशचंद जाति मेहतर आयु 42 वर्ष निवासी गणेश चौक का रास्ता खेडली फाटक कोटा

2.सीता बाई पत्नी डैनी उर्फ अरविन्द जाति मेहतर आयु 39 वर्ष निवासी गणेश चौक का रास्ता खेडली फाटक कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 25.2.25

उपस्थितिः–

1.श्री मुकेश लोधा प्रार्थी अधिवक्ता।

2.श्री सतीश शर्मा अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वाकै गणेश चौक का रास्ता खेडली फाटक कोटा राज० की स्थायी निवासी है, ओर प्रार्थीगण वृद्ध व सिनियर सिटीजन है। प्रार्थीगण का मकान वाकै गणेश चौक का रास्ता खेडली फाटक कोटा राज0 पर स्थित है,उक्त मकान पर प्रार्थी के नाम पर नल का प्रार्थी कम 1 व बिजली का प्रार्थी कम 1 की बड़ी बहु संतोष के नाम कनेक्शन लगे हुए है। जिसमे तीन पुत्रो व एक पुत्री के साथ प्रार्थीगण निवास करते है, तथा प्रार्थी कम 1 उक्त मकान का मालिक है, उक्त मकान प्रार्थी कम 1 की स्वअर्जित आय से बनाया हुआ है। प्रार्थीगण का पुत्र अप्रार्थी कम 1 डैनी उर्फ अरविन्द है, अप्रार्थीया कम 2 अप्रार्थी कम 1 की पत्नी है जो प्रार्थीगण के मकान में ही निवास करते है, प्रार्थीगण का पुत्र रोजाना प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच करता है तथा मारपीट कर घर से बाहर निकाल देता है और जब प्रार्थी घर के अन्दर आने की कोशिश करता है तो प्रार्थी को जान से मारने की धमकीया देता है और बोलता है कि चले जाओ यह मेरा घर है। वरना जान से मार दुंगा ऐसी धमकीया देता हूं। और अन्य दो पुत्रो व पुत्री को भी घर खाली करने व लडाई झगडा कर तनावपूर्ण स्थिति पैदा करता है, ताकि वो भी मकान खाली करके अन्य जगह चले जाये और उनको भी मकान खाली करने की धमकीया देता है। दिनांक 27.08.2020 को भी प्रार्थी कम 1 व 2 के पुत्र डैनी उर्फ अरविन्द द्वारा प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

नम्बर व तारीख
अहकाम जो किस
की तामील

के साथ मारपीट तथा जान से मारने की कोशिश की गई मगर प्रार्थी व उसकी पत्नी ने अपने आपको बचाते हुए एक कमरे मे बंद कर दिया इस पर प्रार्थी व उसकी पत्नी ने थाना भीमगंजमण्डी कोटा जं0 में प्रार्थी के पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दी और दिनांक 28.08.2020 को रात्रि करीबन 10:20 पर प्रार्थी के उक्त पुत्र ने मारपीट तथा बुरी बुरी गालियां दी जिसकी सूचना प्रार्थीगण द्वारा थाना भीमगंजमण्डी कोटा को दी तो प्रार्थीगण के घर पर पुलिस की जीप आयी और प्रार्थीगण के पुत्र डैनी उर्फ अरविन्द को अपने साथ ले गयी तथा ले जाने के बाद पुलिस द्वारा प्रार्थीगण के पुत्र को 12 बजे करीबन छोड दिया तथा प्रार्थी का पुत्र पुनः घर आया और जोर जोर से गालिया देने लगा ओर प्रार्थीगण को जाने से मारने की कोशिश की पर प्रार्थी व उसकी पत्नी ने तुरन्त दरवाजा बंद कर लिया। प्रार्थीगण को अप्रार्थी क्रम 1 डेनी उर्फ अरविन्द व उसकी पत्नी सीता अप्रार्थी क्रम 2 भी प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच करते हुये प्रार्थीगण को दहेज प्रताडना का कैस लगाने की धमकीयां देते है। और स्वंय डैनी उर्फ अरविन्द उसकी पत्नी के द्वारा कानूनी कार्यवाही करने के लिये कहता है कि किसी भी प्रकार का छेडछाड या मिथ्या दोष लगाकर कार्यवाही करने के लिये उत्प्रेरित करता है। प्रार्थीगण सीनियर सिटिजन व वृद्ध व असहाय व्यक्ति है और प्रार्थीगण अपना गुजारा खुद दैनिक मजदुरी करते है, प्रार्थीगण जिस मकान मे निवास करते है उसी मकान मे अन्य पुत्र पुत्री भी उनके साथ ही निवास करते है, तथा उसी मकान में अप्रार्थीगण भी निवास करते है, जो कि प्रार्थी व उसकी पत्नी को किसी प्रकार कोई भरण पोषण ईलाज देखरेख व सामाजिक दायित्वो का निर्वहन नही करते है इसके साथ ही उक्त मकान में प्रार्थी क्रम 1 के नाम से नल व बडी बहु के नाम से लाईट बिजली का कनेक्शन स्थपित है जिसका भुगतान भी प्रार्थीगण मजदुरी करके व अन्य दो पुत्र व पुत्री ही करते है। अप्रार्थीगण किसी प्रकार का नल बिजली के बिलो का भुगतान नही करते है। प्रार्थीगण का पुत्र डैनी उर्फ अरविन्द एक आपराधिक किस्म का खूंखार व्यक्तित है जिस पर भीमगंजमण्डी थाने के अलावा कोटा शहर के अन्य थानो मे आपराधिक प्रकरण दर्ज व विचाराधीन है जो कि अवैध जुआ खाना शराब व भूमाफीया जो कि जमीनो की खरीद फरोद अवैध रूप से करता है। दिनांक 28.11.2023 को भी प्रार्थीगण के पुत्र अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के द्वारा गन्दी गन्दी गालिया देकर घर से निकलने के लिये धमकीयो दी और कहा कि इस मकान को हम बेचकर रहेगे और तुम दोनो व अन्य किसी को भी इस मकान में निवास नही करने देगे प्रार्थीगण ने उक्त संबंध में अनेक बार अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना भीमगंजमंडी कोटा मे शिकायते पेश की व पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा शहर को भी परिवाद पेश किये लेकिन पारिवारिक मामला होने से कोई उचित कार्यवाही नही हो सकी, जिससे अप्रार्थीगण के होसले और अधिक बुलन्द हो रहे है, ओर यह लोग दिन प्रतिदिन प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ गाली गलोच करते है, मारपीट करने तक पर आमादा फसाद हो जाते है, घर से बेदखल करने हेतु धमकाते है, अभी करीब 5–6 दिन पूर्व भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ गाली गलोच करते हुए मारपीट करने पर आमादा हो गये ओर घर से निकल जाने हेतु धमकीया दी जिससे प्रार्थी व उसकी पत्नी को अत्यधिक शारीरिक मानसिंक संताप हुआ है, प्रार्थी व उसकी पत्नी का जीना दुश्वार कर रखा है, प्रार्थी व उसकी पत्नी बुजुर्ग है, सिनियर सिटीजन है, ऐसी अवस्था में अप्रार्थीगण अपने कर्तव्यो का निर्वहन नही करके उल्टे शारीरिक मानसिंक संताप पहुंचा रहे है, जीना दुश्वार किया हुआ है, कोई भी अप्रिय घटना कारित कर सकते है, इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को अपने उक्त मकान मे नही रखना चाहता है, बेदखल करना चाहता है, ताकि प्रार्थी व उसकी पत्नी अपने मकान मे इस

उपखण्ड अधिकारी
को

बुजुर्ग अवस्था मे सुख शांती से निवास कर सके, शांतीपूर्वक अपना जीवन बसर कर सके, तथा अप्रार्थीगण को उनके उक्त प्रकार के क्रूरतापूर्ण कृत्य के लिए दंडित किया जाना आवश्यक है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के मकान वाकै गणेश चौक का रास्ता खेडली फाटक कोटा राज0 से बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान करे, ओर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही कर दंडित किये जाने का आदेश प्रदान करे, अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थी के पक्ष मे हो अता फरमायी जाये।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण का सीनियर सिटीजन होना एवं खेडली फाटक निवासी होना स्वीकार है। लेकिन जिस मकान के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसका न तो प्रार्थी क्रम 1 मालिक है, और न ही उसके द्वारा बनाया गया है। वास्तविक तथ्य यह है वादग्रस्त मकान अप्राथी क्रम 1 ने अपनी स्वअर्जित आय से सरकारी जमीन पर बनाया था, तथा तभी से अप्रार्थीगण अपने मकान में परिवार सहित निवास करते चले आ रहे है। अप्रार्थी क्रम 1 की पत्नी अप्रार्थी क्रम 2 सरकारी कर्मचारी है, तथा नगर निगम कोटा में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी क्रम 1 अप्रार्थी क्रम 1 की पत्नी अप्रार्थी क्रम 2 से आधे वेतन देने की मांग करता है, तथा जबरदस्ती करते है तथा नही देने पर गंदी–गंदी गालियां देते है तथा मानसिक रूप से प्रताडित करते है। तथां झूँठी रिपोर्ट एवं केस पेश कर नाजायज परेशान करते है। जबकि ऐसा करने का उनको कोई अधिकार प्राप्त नही है। जबकि जिस मकान के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह अप्रार्थी क्रम 1 ने अपनी स्वअर्जित आय से सरकारी खाली जमीन पर निर्माण करवाया था। प्रार्थी क्रम 1 के मालिकाना स्वामित्व का मकान पास में फोटो ग्राफ मार्क– 1 मे दर्शाया गया ईटों बना दर्शित है। जबकि फोटोग्राफ मार्क – 2 में दर्शित मकान अप्रार्थी क्रम 1 का है जिसे वादग्रस्त किया गया है। चूँकि प्रार्थी क्रम 1 ने अपना उक्त मकान अपने बडे पुत्र श्री कुंदन डंगोरिया को दिया हुआ है। उक्त मकान फोटोग्राफ मार्क–1 में दर्शित है। जिसके वाटर दो विद्युत मीटर दर्शित हो रहे है। जिसमें अप्रार्थी क्रम 1 के भाई कुंदन को पत्नी संतोष के नाम से लगा हुआ है, तथा दूसरा अप्रार्थी क्रम 1 की बहन ज्योति के नाम से लगा हुआ है। वादगस्त अप्रार्थी क्रम 1 के मकान में कोई नल व विद्युत मीटर लगा हुआ नही है। अप्रार्थी क्रम 1 ने अपनी स्वअर्जित आय से वादग्रस्त मकान का निर्माण करवाया तथा अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थीगण जो उसके माता पिता है अपने मकान में साथ नीचे के कमरे में रखा लेकिन नियत खराब होने से न्यायालय को गुमराहकर तथा कानून का दुरूपयोग कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि उक्त मकान का कोई टाईटल प्रार्थी क्रम 1 व 2 का नही है। प्रार्थी क्रम 1 अकारण बिना किसी बात के अप्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने की दृष्टि से झूठी रिपोर्ट देते रहते है। तथा आये दिन अप्रार्थीगण को परेशान करते है, तथा अप्रार्थी क्रम 1 की पत्नी अप्रार्थी क्रम 2 को आधे वेतन देने की बात कहते हुए गाली गलोच व मानिसक रूप से प्रताडित करते है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी क्रम 2 जो कि सरकारी कर्मचारी है तथा नगर निगम कोटा उत्तर में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है, उससे आधा वेतन मांगते है, तथा नही देने पर गंदी–गंदी गालियां देते है। तथा नाजायज रूप से परेशान करते है। तथा मानसिक रूप से प्रताडित करते है । प्रार्थी क्रम 1 इन्स्ट्रमन्टेशन लिमिटेड (आई एल) में सर्विस करते थे जहां से सेवानिवृत्ति के उपरान्त लाखो रूपये प्राप्त हुआ है तथा प्रार्थी क्रम 2

उपखण्ड अधिकारी
को

नगर निगम में सर्विस करती थी, जिनकी सेवानिवृत्त के परिलाभों के रूप में लाखो रूपये प्राप्त हुआ तथा वर्तमान में पैशनर है, तथा अच्छी पेन्शन प्राप्त होती है। वादग्रस्त मकान में अप्रार्थीगण निवास करते है तथा नीचे का कमरा अप्रार्थीगण द्वारा ही प्रार्थीगणो को निवास करने हेतु दिया हुआ है। वादग्रस्त मकान में इसके अलावा कोई भी निवास नही करता है। सभी पृथक पृथक मकान में निवास करते है। वादग्रस्त मकान में कोई भी नल व बिजली का कनेक्शन (मीटर) लगा हुआ नही है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को नाजायज रूप से परेशान करने की दृष्टि से आये दिन नित नये झूठे आरोप लगाते रहते है। प्रार्थीगण आये दिन इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हुए शिकायते करते रहते हैं, जो कि निराधार है। प्रार्थना पत्र बेदखली की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है। जबकि बेदखली के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में चलने योग्य नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं अप्रार्थीगण की ओर से बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान गणेश चौक का रास्ता खेडली फाटक कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 25/2/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल षुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा